



e-Stamp

Signature:

ACC Name-AMARDEEP TRIPATHI

ACC No-UP146280041949V

Address - Alankhate Parwar Haridwar

License No. 227/2023 & District, Haridwar

Certificate No. : IN-UP03048300041949V

Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 04:04 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14628004/ SHAHABAD/ UP-HRD

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1462800401693162532162V

Purchased by : PRABANDHAK GAYAVATI SHIKSHAN SANSTHAN HARDOI

Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement

Property Description : Not Applicable


Consideration Price (Rs.) :

First Party : PRABANDHAK GAYAVATI SHIKSHAN SANSTHAN HARDOI

Second Party : Not Applicable

Stamp Duty Paid By : PRABANDHAK GAYAVATI SHIKSHAN SANSTHAN HARDOI

Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



₹100



प्रारूप -अ

IN UP03048300041949V

Please write or type below this line

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम मुन्नी देवी (अध्यक्ष) एवं यदुनाथ सिंह (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव गयावती शिक्षण संस्थान पौथेपुरवा पो0- ओदरा पचलाई हरदोई उ0प्र0 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा गयावती शिक्षण संस्थान पौथेपुरवा पो0- ओदरा पचलाई हरदोई उ0प्र0 अखण्ड कालेज आफ फार्मेसी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम स्थित ग्राम फरदापुर तहसील- हरदोई सदर जनपद हरदोई उ0प्र0 में गाटा संख्या- 115 मि0 रकबा 0.9540 हेक्टेयर भूमि हैं।

मुन्नी देवी

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shikshaStamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the genuineness is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है , और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि गाटा संख्या- 115 मि0 रकबा 0.9540 हेक्टेयर भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 10/11/2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सक्षम निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लासरूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।

Alina

मुन्नी देवी

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थल निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनी संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं होऊँगा।

ह0 सचिव



ह0 अध्यक्ष

